

राजस्थान सरकार  
सांख्यिकी विभाग  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एफ.5(3)/एसडीजी/सम/डीईएस/ 2016/पार्ट-II/560

दिनांक:- 03/05/2019


संवहनीय विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला

नीति आयोग एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशन में राज्य में संवहनीय विकास लक्ष्य, 2030 को प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। दिनांक 28.11.2018 को "State level implementation and monitoring committee for SDG" की मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला स्तरीय एस.डी.जी. कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। उक्त समिति के गठन एवं इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सदर्थ में प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग द्वारा दिनांक 07.03.2019 को आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। इस कमेटी में जिला कलेक्टर - अध्यक्ष, उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक सांख्यिकी विभाग - सदस्य सचिव तथा मुख्य आयोजना अधिकारियों सहित अन्य सम्बद्ध विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

जिला स्तर पर एस.डी.जी. के प्रभावी कार्यान्वयन एवं इनको प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्देशानुसार उक्त जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य सचिवों (उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक सांख्यिकी विभाग) एवं मुख्य आयोजना अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला का दिनांक 30 मई, 2019 को आयोजन किया गया है। उक्त कार्यशाला का कार्यक्रम विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

आमंत्रित सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु प्रातः 9:30 बजे से पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.5(3)एसओजी/सम/डीईएस/2016/560

दिनांक:- 03/05/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों को भिजवाने के साथ-साथ जिला स्तरीय मुख्य आयोजना अधिकारियों को उक्त कार्यशाला में उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य प्रमुख, यूनिसेफ कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु विषय विशेषज्ञों एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु सहयोग प्रदान करावें।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
6. निदेशक तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि एस.डी.जी. पोर्टल तैयार करने वाली टीम के प्रभारी को उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु निर्देशित करावें।
7. उप/सहायक निदेशक, समस्त जिला.....
8. मुख्य आयोजना अधिकारी, समस्त जिला.....
9. सम्बन्धित अधिकारी आयोजना/आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय .....
10. प्रोग्रामर, मुख्यालय को सभा कक्ष में प्रजेन्टेशन की व्यवस्था हेतु।
11. केयर टेकर, मुख्यालय को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(रणवीर सिंह)

संयुक्त निदेशक (समन्वय)

**जिला स्तर पर एस.डी.जी. के क्रियान्वयन विषय पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला**

स्थान: कॉन्फेस हॉल— आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर।

प्रातः 09:30 बजे से 10:00 बजे तक	रजिस्ट्रेशन	
प्रातः 10:00 बजे से 10:10 बजे तक	स्वागत	श्री रणवीर सिंह, संयुक्त निदेशक
प्रातः 10:10 बजे से 10:30 बजे तक	कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य के बारे में जानकारी	डॉ. ओम प्रकाश बैरवा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
प्रातः 10:30 बजे से 10:50 बजे तक	की-नोट एड्रेस	श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी
समय	विषय	प्रस्तुतकर्ता
प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक	एस.डी.जी. के बारे में परिचय	श्री शफकत हुसैन, विशेषज्ञ, युनिसेफ
दोपहर 12:00 बजे से 12:30 बजे तक	राज्य स्तर पर एस.डी.जी. कार्य की प्रगति एवं कार्य योजना	श्री आर.के. पाण्डे, निदेशक, सांख्यिकी (आयोजना)
दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक	एस.डी.जी. इंडेक्स पर प्रस्तुतीकरण	श्री प्रवीण कुमार, एस.ओ. एवं सुश्री नवज्योति राणावत, सलाहकार, युनिसेफ
दोपहर 01:30 बजे से अपराहन 02:30 बजे तक		लंच
अपराहन 02:30 बजे से सांय 04:00 बजे तक	जिला स्तर पर एस.डी.जी. का क्रियान्वयन, कार्ययोजना एवं मार्गदर्शन	श्री विनेश सिंघवी, विशेषाधिकारी आयोजना विभाग।
सांय 04:00 बजे से 5:00 बजे तक	विकेन्द्रीकृत नियोजन एव एस.डी.जी.	प्रतिनिधि, पंचायती राज विभाग / आईजीपीआरएस
सांय 05:00 बजे से 06:00 बजे तक	विचार-विमर्श एवं समापन	

₹